क्रम संख्या–183 (ख)

रजिस्टर्ड २० ए० डी०––4

लाइसेन्स मं० डब्ल्यू० पी० – 41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर . प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रसाधारण

विधायो परिशिष्ट

भाग –– 1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 19 मार्च, 1986

फाल्गुन 28, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग––1

संख्या 664/सत्रह–वि–1–1 (क)/1986

लखनऊ, 19 मार्च, 1986

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रवेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 पर दिनांक 19 मार्च, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रवेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुत्रा)

उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्रामिकरण की स्थापना करने और उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– – (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1.886 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 8 अक्तूबर, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषायें 2 — जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से है ;

(ख) ''सुख सुविधा '' के अन्तर्गत सड़क और मार्ग, जल संभरण और विद्युत प्रदाय, सड़कों में रोशनी, खुला स्थान, पार्क, मनोरंजन स्थल, खेल का मैदान, प्राकृतिक स्वरूप, जल निकास, सीवर व्यवस्था, लोक संकर्म और अन्य उपयोगी कार्य, सेवायें और सुविधायें भी हैं ;

(ग) ''भवन'' के अन्तर्गत किसी भी सामग्री से निर्मित ऐसी कोई संरचना वा उसका भाग भी है जिसका उपयोग मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा या पूजा करने के लिये या कोई उपजीविका, व्यापार या कार—बार करने के लिए स्थान के रूप में किया जाय या किये जाने के लिये नाशयित है ;

(घ) "विकास" का तात्पर्य, इसके व्याकरणिक रूप—भेद सहित, भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य क्रियायें या ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करके किसी क्षेत्र के सुनियोजित विकास से है. और इसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के कृषि संबंधी, औद्योगिक और सामाजिक—मार्थिक विकास भी है ;

(ङ) "विनियम'' का तात्पर्य विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम से है;

(च) ''नियम'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम से है;

(छ) "विशेष विकास क्षेत्रष का तात्पर्य धारा 3 के अधीन अधिसूचित विशेष विकास क्षेत्र से है;

(ज) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों भोर पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगरयोजना और विकास अधिनियम, 1973 में क्रमशः उनके लिये दिये गये है ।

अध्याय—दो

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना

विशेष विकास क्षेत्र की घोषणा 3— यदि राज्य सरकार की राय हो कि राज्य में विशेष महत्व के किसी क्षेत्र का सुनियोजित रूप से विकास किये जाने की आवश्यकता है तो वह, अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थं विशेष विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है ।

विकास प्राधिकरण 4— (1) धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी विशेष विकास क्षेत्र के लिये, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण का गठन कर सकती है जिसे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहा जायेगा ।

(2) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में दिये गये नाम से शाश्वत उत्तरा— विकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे संविदा करने श्रोर सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निस्तारण करने की शक्ति होगी और जो उक्त नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —

(क) अध्यक्ष, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा य राज्य सरकार का सचिव जो उस विभाग का भार साधक हो जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य निष्पादित होता हो, पदेनय

(ग) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन

(घ) संचिव, राज्य सरकार, नियोजन विभागं, पदेनय (ङ) मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेनय (च) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, पदेन;

(छ) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, पदेन ;

(ज) ऐसे प्रत्येक जिले का जिसका कोई भाग विशेष विकास क्षेत्र में सम्मिलित हो, जिला मजिस्ट्रेट, पदेन ;

(झ) क्षेत्र में क्रियाशील प्रौद्योगिक, खनिकर्म और विद्युत उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करने के लिये ऐसे चार व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा ;

(ञ) दो से अधिक ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें विशेष विकास क्षेत्र में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) मा खण्ड (घ) में निर्दिष्ट कोई सदस्य प्राधि–करण की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के वजाय विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी • अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और उपधारा (3) के खण्ड (ङ), खण्ड (च) या खण्ड (छ) में निर्दिष्ट सदस्य अपर मुख्य अभियंता से प्रनिम्न पद के किसी अधिकारी को इसी तरह प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और उसे मत देने का भी अधिकार होगा।

(5) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, ऐसे किसी व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन करने के लिये वह चाहता हो।

(6) उपधारा (5) के अधीन सहयुक्त किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के ऐसे विचार–विमर्श म जो उसे प्रयोजन से सुसंगत हो, जिसके लिये वह सहयुक्त किया गया है, भाग लेने का अधिकार • होगा, किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा ।

(7) प्रध्यक्ष को प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन, मानदेय धीर भत्ता दिया जायगा जैसा ज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय ।

(8) अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) की पदावधि ऐसी होगी जैसी राज्य–सरकार प्रदेश द्वारा अवधारित करे ।

(9) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकरण में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से या उसकी प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण ही जिससे मामले के गुणावगुण पर प्रभाव न पड़ता हो, प्रविधिमान्य नहीं होगी ।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द

5– (1) राज्य सरकार उपयुक्त व्यक्तियों को, प्राधिकरण का क्रमशः सचिव श्रौर मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा विहित किया जाय ।

(2) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, ऐसे पदों का सृजन कर सकता है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक संपादन करने के लिए आवश्यक समझे और किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाये जायं, ऐसे पदों पर नियुक्तियां कर सकता है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के पदनाम अवधारित कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की महंतायें और सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी ऐसे कृत्यों का संपादन और कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा विहित किया जाय ।

(5) प्राधिकरण के सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारी और कर्मचारी प्राधि–करण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने के हकदार होंगे जैसा विहित किया जाय।

प्राधिकरण के कृत्य

6– विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे

(एक) विशेष विकास क्षेत्र का, जिसके लिए उसका गठन किया गया है, सुनियोजित रीति से विकास कार्य को बढ़ाना और उसे सुनिश्चित करनाय

(दो) विशेष विकास क्षेत्र के लिये विकास योजना तैयार करना ;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा विकास योजना का अनुमोदन किये जाने के पश्चात् उसको कार्यान्वित करना;

(चार) योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थं भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन धारण, विकास, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(पांच) भवन निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन क्रियायें और अन्य निर्माण कार्य को कार्या– न्वित करना;

(छ;) जल–सम्भरण और विद्युत प्रदाय के संबंध में निर्माण कार्यों का निष्पादन करना और ऐसी उपयोगिता और सुख–सुविधा जैसे जल विद्युत, जल निकास और इसी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(सात) सीवेज का निस्तारण करना और अन्य सेवाओं और सुख–सुविधाओं की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण करना;

(आठ) विदोष विकास क्षेत्र का नगरपालिका संबंधी प्रबन्ध उसी रीति से करना जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन नगरमहापालिका द्वारा किया जाता है;

(नौ) ऐसे सभी कृत्यों का अन्यथा संपादन करना जो विशेष विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास के प्रयोजनार्थ और उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक या समीचीन हो;

परन्तु खण्ड (आठ) और (नौ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का सम्पादन तब तक नहीं किया जायगा जब तक राज्य सरकार द्वारा ऐसे अपेक्षित न हो।

प्राधिकरण की शक्तियां

7– विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को –

(क) नगरपालिका प्रशासन के प्रयोजनार्थं ऐसी शक्तियां होंगी जैसी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन किसी नगर महापालिका को हैं;

(ब) कराधान के प्रयोजनार्थ ऐसी शक्तियां होंगी जैसी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका तंजियम, 1959 के अधीन किसी नगर के संबंध में किसी नगर महापालिका को है ।

अध्याय – तीन

विशेष विकास क्षेत्र के लिये महायोजना

महायोजना तैयार करना

8–– (1) प्राधिकरण, यथाशीघ्र, विशेष विकास क्षेत्र के लिये जिसके लिये उसका गठन किया गया है, एक महायोजना तैयार करेगा ।

(2) महायोजना–

(क) उन विभिन्न सेक्टरों को परिनिश्चित करेगी जिनमें ऐसे क्षेत्र को विकास के प्रयोजनार्थं विभाजित किया जा सकेगा और वह रीति, जिसमें प्रत्येक सेक्टर की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है और वे प्रक्रम जिनमें कोई ऐसा विकास कार्यान्वित किया जायेगा, इंगित करेगीय और

(ख) उस रूप रेखा के बुनियादी नमूने के रूप में होगी जिसके अन्तर्गत विभिन सेक्टरों की विकास योजनायें तैयार की जा सकती है।

(3) महायोजना में ऐसी किसी अन्य बात के लिये व्यवस्था की जा सकती है जो ऐसे क्षेत्र के समुचित विकास के लिये आवश्यक हो ।

सेक्टर योजना

9 (1) प्राधिकरण, महायोजना तैयार करने के साथ–साथ या तत्पश्चात् मयाशीघ्र, धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक सेक्टर के लिये सेक्टर योजना तैयार करने की कार्यवाही करेगा ।

(2) सेक्टर विकास योजना में, ––

(क) सेक्टर के विकास के लिए स्थल का नक्शा और उपयोग का नक्शा होगा और सार्व– जनिक भवनों और अन्य सार्वजनिक और लोकोपयोगी संकर्मों, सड़कों, आवास, मनोरंजन, उद्योग, कारवार, बाजार, विद्यालय, अस्पताल और सार्वजनिक और निजी खुले स्थलों और अन्य प्रकार के सार्वजनिक और निजी उपयोगी जैसी बातों के लिये सेक्टर में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की मोटे तौर पर अवस्थिति और सीमा दर्शित होगीय

(ख) जनसंख्या की सघनता और भवनों की सघनता के मानक विनिर्दिष्ट होंगे;

(ग) सेक्टर का प्रत्येक ऐसा क्षेत्र दर्शित होगा, जो प्राधिकरण की राय में विकास विकास के लिये अपेक्षित हो या घोषित किया जाय; और

(घ) विशेष रूप से, निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के संबंध में उपबन्ध होंगे––

(एक) भवनों के निर्माण के लिये किसी स्थल का प्लाटों में विभाजन;

(दो) सड़कों, खुले स्थानों, बगीचों, मनोरंजन स्थलों, विद्यालयों, बानारों और अन्य लोक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन या आरक्षण;

(तीन) किसी क्षेत्र का नगरी या कालोनी में विकास और ऐसे निर्वन्धन और शर्तें जिनके अधीन रखते हुये ऐसा विकास कार्य लिया जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है;

(चार) किसी स्थल पर भवनों का निर्माण और भवनों में या उनके चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थानों और भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप के संबंध में –निर्बन्धन और शर्तें;

(पांच) किसी स्थल के भवनों का संरेखण ;

(छ) किसी स्थल पर निर्मित किये जाने वाले किसी भवन के उठान या अग्रभाग का वास्तुकलात्मक स्वरूप;

(सात) किसी प्लाट या स्थल पर निर्मित किये जा सकने वाले आवासिक वनों की संख्या;

(आठ) किसी स्थल या भवनों के संबंध में ऐसे स्थल पर चाहे भवनों के निर्माण के पूर्व या पश्चात् उपलब्ध की जाने वाली सुख–सुविधाएं और वह व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके द्वारा या जिसके खर्च पर सुख–सुविधायें उपलब्ध की जानी है;

(नौ) आस्थान में दुकानों, कर्मशालाओं, भाण्डागारों या कारखानों या विनि–दिष्ट वास्तुकलात्मक स्वरूप के भवनों या विशिष्ट प्रयोजनों के लिये रूपांकित भवनों के निर्माण के संबंध में प्रतिषेध या निर्बन्धन;

(दस) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुकलात्मक निर्माण का बनाये रखना और वह ऊंचाई जिस तक उनको बनाये रखा जायगा;

(ग्यारह) भवनों के निर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिये किसी स्थल के उपयोग के संबंध में निर्बन्धनद्ध

(बारह) कोई अन्य विषय जो सेक्टर या उसके किसी भाग का योजना के अनुसार समुचित विकास के लिये आवश्यक हो ।

योजना को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिय

10–– (1) धारा 8 या 9 के अधीन किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने के पूर्व प्राधिकरण योजना का प्रारूप तैयार करेगा और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें सूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक तक, जो सूचना के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन से कम न होगा, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को जिसकी स्थानीय सीमाओं के मीतर योजना से प्रभावित कोई भूमि स्थित है, योजना के संबंध में कोई अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर भी देगा।

(3) ऐसी समस्त प्रपत्तियों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर, जो प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण योजना को मन्तिम रूप से तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार योजना को या तो बिना उपान्तर के या ऐसे उपान्तर सहित जैसा वह श्रावश्यक समझे, अनुमोदित कर सकती है या प्राधिकरण को यह निदेश देते हुए योजना को अस्वीकार कर देगी कि वह ऐसे निदेशों के अनुसार नयी योजना तैयार करें ।

योजना के प्रारम्भ का दिनांक

11 – धारा 10 के अधीन कोई योजना अनुमोदित किये जाने के पश्चात् तुरन्त राज्य सरकार उसे गजट में और ऐसी अन्य रीति से जंसी विहित की जाय, प्रकाशित करायेगी और योजना गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

योजना में संशोधन

12–– (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से, धारा 8 या 9 के अधीन तैयार की गयी योजना में ऐसा संशोधन कर सकता है जिसे वह उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन किये गये किसी संशोधन पर द्वारा 10 और 11 के उपबन्ध, यथा–वश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ।

अध्याय– चार
भूमि का विकास

विशेष विकास क्षेत्र में भूमि का विकास

13 – (1) किसी विशेष विकास क्षेत्र के लिये प्राधिकरण की स्थापना होने के पश्चात् इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसके अन्तर्गत सरकार का कोई विभाग भी है, या सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर में किसी उपक्रम द्वारा भूमि का विकास कार्य तब तक नहीं लिया जायगा या कार्यान्वित नहीं किया जायगा या जारी नहीं रखा जायगा जब तक कि ऐसे विकास के लिये लिखित अनुज्ञा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्राधिकरण से प्राप्त न कर ली गयी हो।

(2) किसी ऐसे क्षेत्र में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य तब तक नहीं लिया जायगा या कार्यान्वित नहीं किया जायगा या जारी नहीं रखा जायगा जब तक कि ऐसा विकास भी ऐसी योजनाओं के अनुसार न हो।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र में के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे,–

(क) जब किसी ऐसे विभाग या स्थानीय प्राधिकारी का भूमि का कोई विकास करने का आशय हो, तब वह ऐसा करने के कम से कम नब्बे दिन पूर्व प्राधिकरण के अध्यक्ष को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगा जिसमें किन्हीं योजनाओं और दस्तावेजों सहित उसकी पूर्ण विशिष्टियां होंगी;

(ख) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग को स्थिति में, यदि श्रध्यक्ष को कोई आपत्ति हो तो वह विभाग के प्राशय की खण्ड (क) के अधीन सूचना प्राप्त होने के दिनांक से छरू सप्ताह के भीतर ऐसे विभाग को उसे सूचित करेगा और यदि अध्यक्ष उक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं करता है तो विभाग प्रस्तावित विकास पज कार्यान्वित करने के लिए स्वतन्त्र होगा;

(ग) जहां प्रध्यक्ष प्रस्तावित विकास के संबंध में इस आधार पर कोई आपत्ति करता है। कि विकास इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई या तैयार किये जाने के लिए आशयित किसी महायोजना या सेक्टर योजना के अनुरूप नहीं है या किसी अन्य आधार पर मापत्ति करता है, वहां, यथास्थिति, ऐसा बिभाग या स्थानीय प्राधिकारी ––

(एक) या तो अध्यक्ष द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण करने के लिये विकास के प्रस्ताव में आवश्यक उपान्तर करेगाय या

(दो) विकास के प्रस्तावों को अध्यक्ष द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के सहित खण्ड (घ) के अधीन विनिश्चय के लिये प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा;

(घ) प्राधिकरण अध्यक्ष की आपत्तियों सहित विकास के प्रस्ताव प्राप्त होने पर या तो प्रस्ताव को उपान्तर सहित या उनके बिना अनुमोदित कर सकता है या, यथास्थिति, विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को निदेश देगा कि वह ऐसा उपान्तर करे जैसा वह श्रावश्यकं समझे श्री प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अनुज्ञा के लिये आवेदन–पत्र

14– (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या निकाय (सरकार के किसी विभाग यां किसी स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न) जो धारा 13 में निर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने का इच्छुक हो, प्राधिकरण को एक लिखित प्रावेदन करेगा जो ऐसे प्रपत्र में होगा और जिसमें उस विकास के संबंध में जिससे आवेदन–पत्र सम्बद्ध है, ऐसी विशिष्टियां होगी, जैसी विहित की जाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ ऐसी फीस होगी जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाये।

प्राधिकरण या (3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, ऐसा व्यक्ति जिसे उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय ऐसी जांच करने के पश्चात् जो धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में आवश्यक समझी जाय, लिखित आदेश द्वारा, या तो अनुज्ञा, ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए, द कोई हो, जैसी प्रदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, दे सकता है या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकता है;

परन्तु ऐसी अनुशा देने से इन्कार करने का आदेश देने के पूर्व श्रावेदक को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायगा;

परन्तु यह और कि प्राधिकरण ऐसे आवेदन–पत्र पर कोई आदेश देने के पूर्व, आवेदक को उसमें कोई शुद्धि करने या कोई अग्रतर विशिष्टियां या दस्तावेज देने या अपेक्षित फीस में किसी कमी को बुरा करने के लिए अवसर दे सकता है जिससे कि वह सुसंगत नियमों या विनियमों के अनुरूप हो भाव ।

(4) जहां अनुज्ञा देने से इन्कार किया जाय, वहां ऐसे इन्कार के प्राधार को तुरन्त अभिलिखित किया जायगा और उसकी सूचना आवेदक को दी जायगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन किसी प्रदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की दिन के भीतर उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है और राज्य सरकार ऐसे प्रदेश दे सकती है जो वह उचित समझे।

(6) प्राधिकरण इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए श्रावेदन पत्रों का एक रजिस्टर ऐसे प्रपन में रखेगा, जैसा विहित किया जाय।

(7) उक्त रजिस्टर में, ऐसी रीति के जिनमें अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गयी है, संबंध में सूचना सहित ऐसी विशिष्टियां होंगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय, भीर बह ऐसी फीस का भुगतान करने पर जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय, सभी युक्तियुक्त समय पर जनता द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।

योजनाओं का उल्लंघन करके भूमि और भवनों का उपयोग

15— किसी सेक्टर में किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् कोई व्यक्ति उस सेक्टर में किसी भूमि या भवन का उपयोग ऐसी योजना के अनुरूप ही करेगा और उपयोग करने की अनुज्ञा देगा अन्यथा नहीं :

परन्तु किसी भूमि या भवन का उपयोग उस प्रयोजन के लिए और उस सीमा तक जिसके लिए और जिस सीमा तक उसका उपयोग उस दिनांक को जब ऐसी योजना प्रवृत्त होती है, किया जा रहा हो, ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, जारी रखना विधिपूर्ण होगा ।

अध्याय— पांच

भूमि का अर्जन और निस्तारण

भूमि का अनिवार्य अर्जन

16——(1) यदि राज्य सरकार की राय में, इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई भूमि अपेक्षित हो तो राज्य सरकार, ऐसी भूमि का भूमि —अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन अर्जन कर सकती है:

परन्तु कोई व्यक्ति जिससे कोई भूमि इस प्रकार अर्जित की गयी हो, ऐसे अर्जन के दिनांक से बापस दिये. पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार से उस भूमि के उसको जाने के लिये इस आधार पर आवेदन कर सकता है कि उस भूमि का उस अवधि के भीतर उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है जिसके लिये वह अर्जित की गयी थी और यदि राज्य सरकार का इस प्रकार समाधान हो जाय तो वह ऐसे प्रभारों के, जो अर्जन के संबंध में उपगत किये गये थे बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज सहित और ऐसे विकास प्रभारों के, यदि कोई हो, जो अर्जन के पश्चात् उपगत किये गये हों, चुकता करने पर उसे भूमि को वापस देने का आदेश दे सकती है।

(2) जहां राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गयी हो, वहां वह सरकार उस भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् उस भूमि को उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह भूमि अजित की गयी है, प्राधिकरण को, उसके द्वारा प्रतिकर का जो उक्त अधिनियम के अधीन दिलाया गया है और अजंन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उपगत प्रभार का भुगतान करने पर अन्तरित कर सकती है।

सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा भूमि का विस्तारण

17—— (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये किसी निदेश के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण——

(क) राज्य सरकार द्वारा अर्जित और उसे अन्तरित किसी भूमि पर कोई विकास कार्य हाथ में लिये या पूरा किये बिना उसका, या

(ख) ऐसा विकास कार्य जैसा वह उचित समझे, हाथ में लेने या पूरा करने के पश्चात, किसी ऐसी भूमि का,

निस्तारण ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये कर सकता है जैसा वह योजना के अनुसार विशेष विकास क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिये समीचीन समझें —

(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे प्राधिकरण को दान के रूप में भूमि का निस्तारण करने के लिये समर्थ बनाती है किन्तु इसके अधीन रहते हुए, इस अधिनियम में भूमि के निस्तारण के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायगा मानो वे उसका सुखाचार, अधिकार किसी भी रीति से चाहें विक्रय, विनिमय द्वारा या पट्टे पर देकर या किसी या विशेषाधिकार का सृजन करके या अन्य रूप से निस्तारण के प्रति निर्देश है ।

अध्याय—छः

वित्त, लेखा और लेखा—परीक्षा

प्राधिकरण की निधि

18— — (1) प्राधिकरण की अपनी निजी निधि होगी और वह उसे बनाये रखेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी

(क) अनुदान, ऋण या अग्रिम के रूप में या अन्य रूपं से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से प्राधिकरण को प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ख) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से भिन्न स्रोतों से ऋण या ऋण–पत्र (डिबेन्चर) के रूप में प्राधिकरण द्वारा उधार ली गयी समस्त धनराशियां ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्राप्त समस्त फीस चुंगीकर, उपकर और प्रभारः

(घ) भूमि, भवनों और अन्य जंगम और स्थाबर सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राधिकरण को प्राप्त समस्त वनराशियां, और

(ङ) किराया और लाभ के रूप में या किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राधिकरण को प्राप्त समस्त धनराशियां ।

(2) निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रशासन में प्राधिकरण द्वारा उपगत किये जाने वाले ब्यय की पूर्ति के लिए किया जायगा, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

(3) प्राधिकरण केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसे अन्य स्रोतों से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, ऋण या ऋण–पत्र के रूप में धन उधार ले सकता है ।

(4) प्राधिकरण उपधारा (3) के अधीन उधार ली गयी धनराशियों के प्रतिसंदाय के लिए शोधन निधि रखेगा और उसमें प्रति वर्ष इतनी धनराशि जमा करेगा जितनी इस प्रकार उधार की नयी समस्त वनराशियों को नियत अवधि के भीतर प्रतिसंदाय करने के लिये पर्याप्त हो।

(5) शोधन निधि या उसके किसी भाग का उपयोग ऋण के प्रतिसंदाय में किया जायगा जिसके लिए ऐसी निधि बनायी गयी थी और जब तक ऐसे ऋण का पूर्ण प्रतिसंदाय न हो जाय तब तक उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायगा।

प्राधिकरण का बजट

19– प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में एक बजट ऐसे प्रपत्र में भर ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, तैयार करेगा, जिसमें प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाया जायगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

20– (1) प्राधिकरण समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा, श्रोर लेखा का एक वार्षिक विवरण पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन–पत्र भी है, ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें।

(2) प्राधिकरण के लेखा को वार्षिक लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जायगी और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को देय होगा।

(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को ओर प्राधिकरण के लेखा की परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखा की परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतः उसे वही, लेखा, सम्बद्ध बाउचर और अन्य दस्तावेज और कागजात प्रस्तुत करने की मांग करने का और ऐसे प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) निदेशक स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण का लेखा और उसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रति वर्ष भेजी जायगी।

वार्षिक रिपोर्ट

21– प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिये उस वर्ष के दौरान अपने कार्य कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

पेंशन और भविष्य निधि

22– (1) प्राधिकरण अपने वैतनिक सदस्यों के और अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य तरकार विनिर्दिष्ट करे, ऐसी पेंशन या भविष्य तिथि या सामूहिक बीमा योजना बना सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) जहां कोई ऐसी पेंशन या भविष्य निधि बनायी गयी हो, वहां राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय – सात

अनुपूरक और प्रकीर्ण उपबन्ध

प्रवेश करने की शक्ति

23– ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये जिन्हें इस निमित्त वनाया जाय, प्राधिकरण किसी व्यक्ति को किसी भूमि या मवन में सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके विना निम्नलिखित प्रयो–जनों के लिये प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है:–

(क) ऐसी भूमि या भवन के संबंध में कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या सतह मालूम करना;

(ख) निर्माणाधीन संकर्मों की परीक्षा और सीवर और नालियों का मार्ग सुनिश्चित करना; (ग) अवभूमि खोदना या वेचना;

(घ) संकर्म की सीमायें और आंशयित रेखायें नियत करना;

(ङ) चिन्ह लगाकर और खाइयां काटकर ऐसी सतह, सीमा और रेखायें बनाना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि क्या किसी भूमि का विकास महायोजना का उल्लंघन करके या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना या ऐसी किसी शर्त का जिसके अधीन अनुज्ञा दी गयी थी, उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है; या

(छ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक कोई अन्य कार्य करना ।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृतं प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्राधिकार के अनुसरण में ऐसा कार्य करते समय भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझा जायगा।

अपराध

24– (1) कोई व्यक्ति जो महायोजना या सेक्टर योजना का उल्लंघन करके या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति के विना या ऐसी किसी शर्त का जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति दी गयी थी, उल्लंघन करके किसी भूमि के विकास कार्य हाथ में लेता है या उसको कार्यान्वित करता है वह जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकता है और अपराध.. जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा अपराध उस अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिये दोष सिद्धि के पश्चात् जारी रहे, पांच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो धारा 15 के उपबन्धों का उल्लंघन करके या उक्त धारा के परन्तुक के अधीन विहित किन्ही निवन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करके किसी भूमि या भवन का उपयोग करता है, वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जमने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा अपराध उस अपराध के प्रथम वार किये जाने के लिये दोप सिद्धि के पश्चात् जारी रहे, ढाई सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो धारा 23 के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है या इस प्रकार प्रवेश करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है, वह ऐसी अवधि के लिए जो छः मास तक की हो सकती है, कारावास का या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है या दोनों से, दण्डनीय होगा।

भवन गिराने का आदेश

25– (1) जहां महायोजना या सेक्टर योजना का उल्लंघन करके या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति के बिना या ऐसी किन्हीं शर्तों का जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति दी गयी है, उल्लंघन करके कोई विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है। या पूरा कर लिया गया है, वहां धारा 24 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण आदेश दे सकता है जिसमें यह निदेश होगा कि ऐसा विकास कार्य उसके स्वामी द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसकी प्रेरणा पर विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या किया जा रहा है या पूरा शकिया जा चुका है, पन्द्रह दिन से अन्यून ऐसी अवधि के भीतर जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, कर, मराई करके या अन्य प्रकार से हटा दिया जाय और आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर, ऐसा विकास हटा या हटवा सकेगा और इस प्रकार हटाने का व्यय स्वामी से या उस व्यक्ति से जिसकी प्रेरणा पर विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था या किया जा रहा था या पूरा किया जा चुका था, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा और ऐसे व्यय की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि स्वामी या सम्बद्ध व्यक्ति को इसबात का कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है कि आदेश क्यों न दिया जाय ।

(2) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित भवनों को गिराने से संबंधित किसी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करेंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर मण्डल आयुक्त को अपील कर सकता है और ऐसी अपील में आयुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्ध, ययावश्यक परिवर्तन सहित इस धारा के अधीन किसी अपील की सुनवाई और उसके निस्तारण पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उक्त संहिता के अधीन मूल डिक्री की अपील हो ।

(5) आयुक्त के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसा अन्तर्वर्ती या अन्तरिम आदेश जिसके अन्तर्गत उस आवेश के जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन का स्थगन भी है दे जैसा वह न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे।

बिकास कार्य को रोकने की शक्ति

26– (1) जहां महायोजना या सेक्टर योजना का उल्लंघन करके या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन. या स्वीकृति के विना या ऐसी किसी शर्त का जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति दी गयी है, उल्लंघन करके कोई विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है या उसे जारी रखा गया है, वहां धारा 24 और 25 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अधिकारी यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि आदेश की तामील के दिनांक को और से विकास कार्य बन्द कर दिया जाय और ऐसे आदेश का तदनुसार अनुपालन किया जायगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश के अनुसरण में ऐसा विकास कार्य बन्द न किया जाय, वहां प्राधिकरण या ऐसा अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी से ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है और उसके समस्त सहायकों और कर्मकारों को विकास के स्थान से ऐसे समय के भीतर जैसा अधियाचन में विनिर्दिष्ट किया जाय, हटाने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसा पुलिस अधिकारी तदनुसार उस अधियाचन का अनुपालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश का अनुपालन करने में विफल होगा, वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति को किसी क्षति के लिए जो उसे धारा 25 के अधीन किसी विकास कार्य को हटाने या इस धारा के अधीन विकास कार्य को बन्द करने के फलस्वरूप पहुंचे, कोई प्रतिकर अनुमन्य नहीं होगा।

(5) इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित निर्माण कार्यो को रोकने से संबंधित अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करेंगे।

कम्पनियों द्वारा अपराध

27 –– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा है और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगाः

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक कंम्पनी ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, प्राधिकरण को एक विवरण–पन भेजेगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति का या व्यक्तियों के नाम, पदनाम और पता उल्लिखित

किये जायेंगे जो ऐसी कम्पनी के इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित विषयों के संबंध में उसके कार्य संचालन के लिये प्रभारी हों और उसके प्रति उत्तरदायी हों।

स्पष्टीकरणरू– इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) "कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' का तात्पर्य उस कर्म के भागीदार से है।

वसूल किये जाने पर जुर्माना प्राधिकरण को दिया जाना

28– इस अधिनियम के अधीन अभियोजनों के सम्बन्ध में वसूल किया गया समस्त जुर्माना प्राधिकरण को दिया जायगा और उसके पास जमा किया जायगा।

अपराधों का शमन

2– (1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, कार्यवाहियों अपराधों का शमन को संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष श्रादेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निबन्धनों पर, जिनके अन्तर्गत शमन फीस के भुगतान के संबंध में कोई निबन्धन भी है, जिसे ऐसा प्राधिकरण या अधिकारी, उचित समझे किया जा सकता है।

(2) जहां किसी अपराध का शमन कर दिया गया है, वहां अपराधी को, यदि अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जायगा और शमन किये गये अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई श्रमतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

स्वामी द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके खर्च पर सुख – सुविधा उपलब्ध करने या विकास कार्य कार्यान्वित करने की और ... कतिपय मामलों में उपकर का उद्ग्रहण करने की प्राधिकरण की शक्ति

30– (1) यदि प्राधिकरण का समाधान हो जाय कि कोई सुख–सुविधा उपलब्ध नहीं की गयी है जो उपलब्ध की जानी चाहिये थी या यह कि भूमि का कोई विकास जिसके लिए इस अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी, नहीं किया गया है तो वह भूमि के स्वामी को या सुख–सुविधा उपलब्ध करने वाले या उपलब्ध करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को कारणं बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, आदेश द्वारा, उससे ऐसे समय के भीतर, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, सुख–सुविधा उपलब्ध करने या विकास कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई सुख–सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है या कोई ऐसा विकास कार्य कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण स्वयं सुख–सुविधा उपलब्ध कर सकता है या विकास कार्य कार्यान्वित कर सकता है या ऐसे अभिकरण द्वारा जिसे वह उचित समझे, उसे उपलब्ध करा सकता है या कार्यान्वित करा सकता हैः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व प्राधिकरण भूमि के स्वामी को या श्सुख–सुविधा उपलब्ध करने वाले या उपलब्ध करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसी कार्यवाही क्यों न को जाय।

.(3) सुख–सुविधा उपलब्ध करने या विकास को कार्यान्वित करने में प्राधिकरण या उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत समस्त व्यय ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार, घादेश द्वारा; नियत करें उस दिनांक से जब से व्यय के लिए मांग को जाती है उसका भुगतान किये जाने तक की अवधि के लिये व्याज सहित प्राधिकरण द्वारा स्वामी से या सुख–सुविधा उपलब्ध करने वाले या उपलब्ध करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से भू–राजस्व को बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है, मौर ऐसे व्यय की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायगा।

(4) इस धारा के अधीन प्राधिकरण या उसके द्वारा नियोजित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय– प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायगा और ऐसा प्रमाण–पत्र अंतिम होगा।

कुछ मामलों में स्थानीय प्राधिक़ारी से उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करतं की प्राधिकरण की शक्ति

31– जहां प्राधिकरण द्वारा किसी क्षेत्र का विकास किया गया है; वहां प्राधिकरण उस स्थानीय प्राधिकारी से जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर इस प्रकार विकसित क्षेत्र स्थित है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उन सुख सुविधात्रों को बनाये रखने के लिये, जो उस क्षेत्र में प्राधि– करण द्वारा उपलब्ध की गयी हो, और ऐसी सुख–सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये, जो प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध न की गयी हो, किन्तु जो उसकी राय में उस क्षेत्र में उपलब्ध की जानी चाहिये, प्राधिकरण मौर उत स्थानीय प्राधिकारी के बीच सहमत निवन्धनों और शर्तों पर, और जहां ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सहमति न हो सके, वहां मामले को प्राधिकरणद्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किये जाने पर, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके, तय किये गये निबन्धनों और शर्तों पर उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले।

समुन्नति प्रभार

32— जहां प्राधिकरण की राय में किसी विशेष विकास क्षेत्र में उसके द्वारा किसी विकास योजना का निष्पादन करने के फलस्वरूप उस क्षेत्र में जिसे विकास से लाभ हुआ है, किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया है या बढ़ जायगा, वहां ऐसा प्राधिकरण उस सम्पत्ति के स्वामी या उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति पर ऐसी दर पर जैसी विकास के निष्पादन के फलस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंध में जिस रीति से विहित की जाय, उस रीति से समुन्नति प्रभार उद्ग्रहीत करने का हकदार होगाः

परन्तु सरकार के स्वामित्व में भूमि के संबंध में कोई समुन्नति प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जायगाः

परन्तु यह और कि जहां सरकार की कोई भूमि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को पट्टे पर या लाइसेंस द्वारा दी गयी हो, वहां उस भूमि और उस पर स्थित किसी भवन पर इस धारा के अधीन समुन्नति प्रभार लगाया जा सकेगा ।

समुन्नति प्रभार का भुगतान

33— (1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत समुन्नति प्रभार ऐसी किस्तों में देय होगा और प्रत्येक किस्त ऐसे समय पर श्रीर ऐसी रीति से देय होगी जैसी इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा नियत की जाय।

(2) समुन्नति प्रभार का कोई बकाया भू—राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

संपत्ति के कतिपय अन्तरणों अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क

34— (1) स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के किसी विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा अधिरोपित शुल्क में, किसी विशेष विकास क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति की स्थिति में उस प्रतिफल की जिसके निर्देश से उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाती है, धनराशि या उसके मूल्य पर दो प्रतिशत की वृद्धि की जायगीः

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपर्युक्त प्रतिशत को पांच तक बढ़ा सकती है।

(2) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप समस्त संग्रह आनुषंगिक व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् —— राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को ऐसी रीति से और ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, आवंटित किये जायेंगे और दिये जायेंगे।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 को इस प्रकार पढ़ा जायगा मानों उसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह अपेक्षित हो कि उसमें निर्दिष्ट विशिष्टियां प्राधिकरण की अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति के संबंध में पृथक रूप से दी जायें।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, इस प्रकार पढ़ा और अर्थ लगाया जायगा मानो यह प्राधिकरण और राज्य करती हो।

खनिज सम्बन्धी अधिकार पर उपकर

35— (1) संसद द्वारा खनिज विकास से संबंधित विधि द्वारा श्रधिरोपित किसी परिसीमा के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण खनिज संबंधी अधिकार पर ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय, उपकर आरोपित कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई उपकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि के अधीन होगा और ऐसे दिनांक से उद्ग्रहणीय होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित विपत किया जाय।

विद्युत के उपभोग या विक्रय पर प्रभार ग्रहण करने की शक्ति

36— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से विशेष विकास क्षेत्र में विद्युत के उपभोग या विक्रय पर दस पैसे प्रति किलोवाट से अधिक की दर से उपकर का उद्ग्रहण किया जा सकता है।

प्राधिकरण को देय धनराशि की वसूली की रीति

37— कोई धनराशि जो प्राधिकरण द्वारा फीस या प्रभार के मद्दे या भूमि, भवन या अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति के निस्तारण से या किराये और लाभ के रूप में उसे देय प्रमाणित की गयी हो, यदि उनकी वसूली के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में स्पष्टरूप से व्यवस्था न की गयी हो तो ऐसे प्राधिकरण द्वारा भू—राजस्व की बकाया के रूप से वसूल की जा सकेगी और ऐसी धनराशि की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायगा।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

38— (1) प्राधिकरण ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर दिये जायें।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के संपादन में या उनके संबंध में प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद के सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसे श्रावेदन किये जाने पर प्राधिकरण या इस अधिनियम के किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निपटाये गये किसी मामले या दिये गये किसी प्रदेश का अभिलेख, दिये गये किसी आदेश या जारी किये गये निदेश की वैधता या श्रीचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिये मंगा ऽ सकती है और धारा 25 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन मंडल श्रायुक्त द्वारा दिये ये किसी प्रदेश के अधीन रहते हुए, उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसा निदेश जारी कर सकती है जैसा वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई प्रादेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं देगी।

(4) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त पाक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा दिया गया प्रत्येक प्रदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में उस पर कोई प्रापत्ति नहीं की जायगी।.

विवरणी और निरीक्षण

39 (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य सूचना देगा 'जैसी वह सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे।

(2) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य सूचना पर ऐसा निदेश दे सकती हैः जैसा वह उचित समझे और ऐसे निदेशों का पालन करना प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।

राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति

40– (1) प्राधिकरण और उसके अधिकारी और अन्य सेवक अपने कर्तव्यों के पालन में नीति संबंधी मामलों में ऐसे निदेशों द्वारा श्राबद्ध होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उनको दिये जायें।

(2) यदि राज्य सरकार और प्राधिकरण के बीच ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो कि कोई प्रश्न नीति संबंधी प्रश्न है या नहीं तो राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

41– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष प्रदेश द्वारा श्रधिरोपित किये जायं, प्राधिकरण या अध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण के अधीनस्थ किसी अधिकारी को अधिनियम. या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन यथास्थिति प्राधिकरण या अध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

प्राधिकरण का विघटन

42– (1) जब कभी राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधि–करण का वना रहना अनावश्यक या श्रवांछनीय हो गया है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकती है कि ऐसा प्राधिकरण ऐसे दिनांक से, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, विघटित कर दिया जायगा और प्राधिकरण तद्नुसार विघटित हो जायेगा।

(2) {उक्त दिनांक से–

(क) ऐसी समस्त सम्पत्ति, निधि और देय जो प्राधिकरण में निहित है या उसके द्वारा वसूल किया जाना है, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूल की जायेगी,

(ख) ऐसे समस्त दायित्व जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हों, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पत्ति, निधि और देयों की वसूली करने के प्रयोजन के लिये, प्राधिकरण के कृत्यों का संपादन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा ;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों और कृत्यों का जिनका इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग या संपादन किया जाना है, ऐसे व्यक्ति द्वारा विहित रीति से प्रयोग या संपादन किया जायगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या पदाभिहित किया जाय।

न्यायालय की अधिकारिता

43– प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराधों का संज्ञान

44– कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिवाय प्राधिकरण द्वारा इस निर्मित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित शिकायत के, संज्ञान नहीं करेगा

सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे

45– इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी प्राधिकरण के अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की शरा21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

अभियोजन की स्वीकृति

46– इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कोई अभियोजन प्राधिकरण के अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायगा ।

आदेशों और दस्तावेजों का अधिप्रमाणीकरण	47– प्राधिकरण की सभी अनुज्ञा, आदेश, विनिश्चय, सूचना और अन्य दस्तावेज प्राधिकरण के सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधि– प्रमाणित किये जायेंगे।
वाद और अन्य कार्यवाहियां	48– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन सद्‌भावना से की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जायगी।
उत्तराधिकारी द्वारा पदग्रहण करने तक सदस्यों का बना रहना	49– प्राधिकरण का अध्यक्ष, या कोई सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी, पद धारण किये रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले ।
विनियम	50– प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधि– नियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन बनाये जाने के लिये अपेक्षित हो, और श्रन्यथा, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को सामान्यतया कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकता है।
नियम बनाने की शक्ति	51–राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती हैं।
अधिनियम का अधिभावी प्रभाव	52– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी क्षेत्र को विशेष विकास क्षेत्र घोषित किये जाने पर, ऐसे क्षेत्र को, यदि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्र विकास योजना में, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य महायोजना या विकास योजना में सम्मिलित किया जाय, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अपवर्जित किया गया समझा जायगा।
निरसन और अपवाद	53– (1) उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 1985 एतद्वारा निरसित मिक किया जाता है। 1 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्तं था।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव

————